

30 MAY 2023

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

30/05/23

विभाग
12

पत्रांक :- 1800497
आ0वि0-3/स्था.-6-08/2009

प्रेषक,

रवि कुमार,
सरकार के उप सचिव ।

महालेखाकार,
बिहार, पटना ।



विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में गया जिलान्तर्गत बांकेबाजार प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत 1.10 हेक्टेयर (2.72 एकड़) वन भूमि अपयोजन के क्रम में NPV एवं CA मद की कुल राशि 23,42,862/- (तेईस लाख ब्यालिस हजार आठ सौ बासठ) रुपये के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार ने गया जिलान्तर्गत बांकेबाजार प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय परिसर विकास हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत 1.10 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन के क्रम में NPV एवं CA मद की कुल राशि 23,42,862/- (तेईस लाख ब्यालिस हजार आठ सौ बासठ) रुपये मात्र की Bihar CAMPA के खाते में हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की है ।

2. स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2023-24 में मांग संख्या-42 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-103- ग्राम्य विकास, उप शीर्ष-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड-42-4515001030102 विषय शीर्ष 53-02 भू-अर्जन मद से विकलनीय होगा ।

3. उपर्युक्त कंडिका-2 के आलोक में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाहर्ता, गया होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जायेगी ।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबसाइट-parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के खाते में Online mode द्वारा फंड ट्रांसफर किया जायेगा ।

5. स्वीकृत राशि की निकासी पित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561वि0(2) दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/निदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

(61) 796

6. संचिका सं०-ग्रा०वि०-3/स्था.-6-08/2009 के पृ०-35/टि० पर प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन दिनांक 16.03.2023 माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन दिनांक 18.05.2023 एवं पृ०-37/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार का अनुमोदन दिनांक 24.05.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,


(रवि कुमार)

सरकार के उप सचिव

पत्रांक :- 1800497

दिनांक :- 30/05/23

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

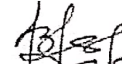

(रवि कुमार)

सरकार के उप सचिव

पत्रांक :- 1800497

दिनांक :- 30/05/23

प्रतिलिपि- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया/ समाहर्ता, गया/ उप विकास आयुक्त, गया/ जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/ प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांकेबाजार, गया/ अंचलाधिकारी, बांकेबाजार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रवि कुमार)

सरकार के उप सचिव

14/05/24
15/05/24

समाहरणालय, गया।

(जिला विकास शाखा)

पत्रांक 370/मि

दिनांक 9-6-23

ई0 गेल : vikashsakhagaya@gmail.com

प्रमक

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा,
गया।

सेवा में

भू-अर्जन पदाधिकारी,
गया।

विषय :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में गया जिलांतर्गत बोंकेबाजार -सह-अंचल कार्यालय -सह-आवासीय परिसर निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1.10 हेक्टेयर (2.72 एकड़) वन भूमि अपयोजन के क्रम में NPV एवं CA मद की कुल राशि 23,42,862.00 (तेईस लाख ब्यालीस हजार आठ सौ बासठ) रुपये प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :-

सरकार के उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1800497 दिनांक 30.05.2023

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रस्ताविक पत्र के संबंध में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में गया जिलांतर्गत बोंकेबाजार -सह-अंचल कार्यालय -सह-आवासीय परिसर निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1.10 हेक्टेयर (2.72 एकड़) वन भूमि अपयोजन के क्रम में NPV एवं CA मद की कुल राशि 23,42,862.00 (तेईस लाख ब्यालीस हजार आठ सौ बासठ) रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। जिससे नॉंग सरख्या 42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4515 जादे एवं विषय शीर्ष 5302 के अंतर्गत भू-अर्जन मद में विकल्पनीय किया जाना है। जिसके लिए निवासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में समाहारी, गया को प्राधिकृत किया गया है। जिसकी निकासी गया के जोषगार से की जायेगी। प्रस्ताविक विषय के सदर्भ में उपरर कार्रवाई करने हेतु मुल पत्र सलग्न किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (मि) (2) दिनांक 17/04/1998 के अनुदेश के अनुपालन करते हुए की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वनाथनाथन

प्राप्तांक 370/मि गया, दिनांक

9-6-23

प्रतिलिपि - वन प्रमडल पदाधिकारी, गया को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को तादर सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा, गया।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा, गया।